



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2016/भाद्र 2, 1938

No. 583]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2016/BHADRA 2, 1938

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक सेवा बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 814 (अ).- "सा. का. नि. 782 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 2016 के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ सं. 3 में नियम 3(2), के नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में "दर (रूपये में)" को "प्रत्येक 20 ग्राम के लिए टैरिफ" पढ़ा जाए।

सा. का. नि. 782 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 2016 की शेष विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।"

[फा. सं. 1-20/2016-टी एण्ड सी]

सरोज पुनहानि, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार